

# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

## U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 2340 औस / 2010-11(30)ए०एस०/०४

दिनांक: 21 जून, 2010

### कार्यालय झाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों व पारिवारिक पेंशनरों की केडिट सुविधा के अन्तर्गत हृदय रोग का उपचार एवं शल्य किया हेतु पूर्व मान्यता प्राप्त निम्नलिखित चिकित्सालयों, जिनकी मान्यता अवधि कारपोरेशन के आदेश संख्या-1339-औस/पाकालि/2010-11(30)ए०एस०/०४, दिनांक 05.04.2010 व आदेश संख्या- 2177-औस/पाकालि/2010-11(30)ए०एस०/०४, दिनांक 04.06.2010 द्वारा दिनांक 30.06.2010 तक बढ़ायी गयी थी, की पूर्व मान्यता के अनुकम में पूर्व निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवम् कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत सी०जी०एच०एस० की पैकेज दरों पर अस्पताल द्वारा 4 % की छूट दिये जाने तथा केडिट पर हृदय रोग के इलाज को केवल ऐन्जियोग्राफी, ऐन्जियोप्लास्टी एवं ओपन हार्ट सर्जरी (CABG, MVR, PACE MAKER IMPLANT) आदि तक सीमित रखने के अतिरिक्त प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 01.7.2010 से 31.03.2012 तक के लिए एतद्वारा मान्यता अवधि बढ़ायी जाती है।

1. मेट्रो हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एक्स-1, सेक्टर-12, नोएडा।
2. डिवाईन हार्ट हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. नरेन्द्र मोहन हास्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, मोहन नगर, गाजियाबाद।
4. हार्ट लाईन कार्डियक केयर सेण्टर, 14/8, एलिन रोड, इलाहाबाद।
5. हेरिटेज हास्पिटल, लंका, ब्राराणसी।
6. यशोदा हास्पिटल्स, गाजियाबाद।
7. सरस्वती हार्ट केयर एण्ड रिसर्च सेण्टर (प्रा०) लि०, इलाहाबाद।
8. फॉर्टिस हास्पिटल, नोएडा।
9. कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, एच-33, सेक्टर-27, नोयडा।
10. सहारा हास्पिटल, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. जसवन्त राय स्पेशियलिटी हास्पिटल, मवाना रोड, मेरठ।

### निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)

संख्या: 2340 (1) औस / 2010-तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध अपर सचिव।

.....2/-

- 2- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन) / (वितरण) / (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वाञ्चल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जॉच समिति-प्रथम / द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिं०।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने रूप से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 8- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (लेखा / वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-४०७, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर लोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
- 12- प्रबन्धकाण - सम्बन्धित चिकित्सालय।
- 13- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 14- कट फाइल।

*ke s. a.*  
 ( कौशल चन्द्र सक्सेना )  
 वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी